

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम


अप्रार्थी/रेसपोडेन्ट

श्री नेमीचन्द पुत्र श्री रायचन्द जैन  
जाति जैन  
निवासी सिरौही रोड़ तहसील पिण्डवाडा  
जिला सिरौही।  
किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

मुकदमा नं. 02 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तागिल में जायी हुए
24.09.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेसपोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 16.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ए.डी.एम. द्वारा जारी पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./2019/64 दिनांक 24.06.2020 में 19 प्रति की प्रतिलिपि भेजी थी। जिसकी पुनः दो प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थी जिसका निर्धारित शुल्क भी संलग्न किया हुआ था से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 16.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ए.डी.एम. द्वारा जारी पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./2019/64 दिनांक 24.06.2020 में 19 प्रति की प्रतिलिपि भेजी थी। जिसकी पुनः दो प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थी जिसका निर्धारित शुल्क भी संलग्न किया हुआ था से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

